14

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक–9/अल०–05–03/03 8320 (S) 21-7-11 पटना, दिनांक

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत
सचिव

निबंधित

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल, (राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य उच्च पथ सहित)।

विषय:– **पथ निर्माण विभाग में बिटुमेन आपूर्त्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण के संबंध में।**

प्रसंग:– पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–7897 (S) दिनांक 03.07.2007 द्वारा निर्गत संकल्प।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत संकल्प के माध्यम से बिटुमेन आपूर्त्ति की प्रक्रिया से संबंधित दिशा–निर्देश जारी किया गया है।

उक्त प्रासंगिक संकल्प की प्रति संलग्न करते हुए पुनः निदेश दिया जाता है कि:–

(i) बिटुमेन प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता को क्रय के दस्तावजी प्रमाण–पत्र के साथ सूचना देना होगा।

(ii) कार्यपालक अभियंता दस्तावेजी प्रमाण पत्र (इनवायस इत्यादि) की शुद्धता को जाँच अपने स्तर से करायेगें एवं तदनुसार ही अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(iii) व्यवहार के पूर्व बिटुमेन की गुणवत्ता की जाँच निश्चित रूप से की जाएगी तथा नियमानुसार जाँच प्रतिवेदन संधारित किया जायेगा।

(iv) एकरारनामावार/कार्यवार प्राप्त बिटुमेन के इनवायस की पूर्ण सूचना विहित प्रपत्र संबंधित रजिस्टर में संधारित किया जाएगा तथा संबंधित कार्य के विपत्रों के भुगतान के समय व्यवहार किए गये बिटुमेन का लेखा मिलान अवश्य किया जायेगा।

(v) बल्क बिटुमेन के मामले में टैंकर आते ही तुरन्त इसकी सूचना कार्यपालक अभियंता को दिया जायेगा एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा गुणवत्ता की जाँच करने के उपरान्त ही संवेदक उसका भण्डारण एवं उपयोग करेंगे। प्राप्त बल्क बिटुमेन का उपयोग अधिकतम एक माह के अन्दर किया जाना है। भण्डारित बल्क बिटुमेन के उपयोग के पूर्व पुनः उसका गुण नियंत्रण जाँच किया जाए एवं Specification के अनुरूप पाये जाने पर ही उसके उपयोग की अनुमति दिए जाने की कार्रवाई की जाए।

D:\letter new doc

(vi) तेल कम्पनियोंद्वारा निर्गत बिटुमेन आपूर्त्ति विवरणी की जाँच अपने स्तर से करते हुए तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(vii) उक्त प्रासंगिक संकल्प की अन्य सभी कंडिकाओं का भी दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाए।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/- 21/7

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक–9/अल०–05–03/03 8320(5) पटना, दिनांक 21-7-11

प्रतिलिपि– सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

ह०/- 21/7

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

21/7/11

D:\letter new.doc

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

विषय :– पथ निर्माण विभाग में विटुमेन आपूर्ति की प्रक्रिया का सरलीकरण।

1. पथों के निर्माण एवं संधारण कार्य हेतु विटुमेन एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। पथ निर्माण/संधारण की लागत का लगभग 30 प्रतिशत व्यय विटुमेन पर होता है। अतः पथ निर्माण परियोजनाओं का सुचारू रूप से कार्यान्वयन काफी हद तक विटुमेन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

2. वर्तमान संकल्प 4814 (S) दिनांक–10.05.06 के तहत विटुमेन का क्रय संवेदक के द्वारा राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से, उनके बिहार में अवस्थित डम्प से किया जाता रहा है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियाँ आवश्यकतानुसार विटुमेन की आपूर्ति बिहार में खोले गए डम्प से नहीं कर पाते है। भारत पेट्रोलियम का० लि० (B.P.C.L) द्वारा तो अभी तक बिहार में डम्प भी अधिस्थापित नहीं किया गया हैं। वर्तमान में I.O.C.L एवं H.P.C.L द्वारा राज्य में आवश्यकता से एक तिहाई विटुमेन की ही आपूर्ति की जा रही है।

3. विटुमेन का क्रय संवेदक के द्वारा किया जाना है, एवं कार्य में उपयोग किया जाता है। संवेदक किसी सामग्री का क्रय कहाँ से करें, इस पर नियंत्रण का कोई स्पष्ट प्रयोजन नहीं है। विभाग की आवश्यकता यह है कि जो विटुमेन अथवा अन्य सामग्री का उपयोग संवेदक के द्वारा किया जाय, उसकी गुणवता निर्धारित मापदंड के अनुरूप हों। इसके लिए विभाग के गुण नियंत्रण प्रयोगशाला प्रत्येक प्रमंडल में है एवं सामग्रियों की जाँच करने के उपरान्त ही उसके उपयोग की अनुमति दी जाती है।

4. उपरोक्त बिन्दु को मदेनजर रखते हुये वर्तमान व्यवस्था में निम्नांकित संशोधन किया जाता है :–

   I. (क) विटुमेन का क्रय राष्ट्रीयकृत तेल कंपनी से ही की जायगी, परन्तु यदि विटुमेन राज्य में स्थित डम्प में उपलब्ध नहीं हो तो निकटवर्ती राज्य में उपलब्ध डम्प अथवा refinery से संवेदक सीधे क्रय कर सकते है।

   (ख) एकरारनामा के अधीन कार्य विशेष के लिए कार्यपालक अभियंता के अनुशंसा पर ही राष्ट्रीय तेल कम्पनी संवेदक के पक्ष में डेलीवरी ऑर्डर निर्गत करेंगे और तदनुसार संवेदक राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनी से विटुमेन प्राप्त करेंगे।

(211)

(ग) वर्तमान में यह बंधेज है कि मात्र पैक्ड बिटुमेन का ही क्रय किया जाय। इसका भी कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार बल्क बिटुमेन (Bulk Bitumen) की क्रय की अनुमति की जाती है– परन्तु इसके साथ शर्त यह रहेगा कि (Bulk Bitumen) का tenker आते ही तुरंत इसकी सूचना कार्यपालक अभियंता को दिया जायगा एवं कार्य० अभि० द्वारा quality check करने के उपरान्त ही संवेदक उसका भंडारण एवं उपभोग करेगें। बिटुमेन प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर उसकी जाँच हो जानी चाहिए। प्राप्त bulk bitumen का उपयोग अधिकतम एक माह के अंदर कर लिया जाना होगा। भंडारित बल्क बिटुमेन के उपयोग के पूर्व पुनः उसका गुण नियंत्रण जाँच किया जाएगा एव specification के अनुरूप पाये जाने पर ही उसके उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

II. संवेदक द्वारा बिटुमेन आपूर्ति होने पर इसकी गुणवता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा निम्नवत कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाएगी :–

(क) एकरारनामा में ही बिटुमेन से संबंधित उपर्युक्त संगतशर्तें जोड़ी जाय तथा संवेदक द्वारा तदनुसार बिटुमेन का क्रय किया जाएगा।

(ख) संवेदक को बिटुमेन प्राप्त होने के 48 घंटे के अन्दर कार्यपालक अभियंता को क्रय के दस्तावेजी प्रमाण–पत्र के साथ सूचना देना होगा।

(ग) एकरारनामा में ही बिटुमेन की प्रमुख specification जैसे ग्रेड, softening point, solubility आदि का उल्लेख किया जाएगा। संवेदक से अपेक्षा की जाएगी कि अपने यहाँ गुण नियंत्रण जाँच की व्यवस्था रखें। विभाग द्वारा भी स्वतंत्र रूप से गुणवत्ता की जाँच की जाएगी। कार्य० अभि० की पूर्वानुमति से ही संवेदक द्वारा उक्त बिटुमेन को कार्य में प्रयुक्त किया जा सकेगा।

उपर्युक्त कंडिका 4 (I) (II) में निरूपित व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी तथा उसके फलाफल एवं अनुभवों के आलोक में निर्णय लिया जाएगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ,

(हस्ताक्षर) 3/7/07
संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
3/7/07

(210)

ज्ञापांक– 7/अ-5-03/02 – 7897(S) दि0 03-7-07

प्रतिलिपिः– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। उनसे यह भी अनुरोध है कि राजपत्र की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग को 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय तथा संबंधित पदाधिकारियों को भी भेजने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 7897(S) दि0 03-7-07

प्रतिलिपिः– मुख्य महालेखाकार (ए0 एण्ड ई0) बिहार। प्रमुख महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 7897(S) दि0 03-7-07

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय प्रबंधक, इंडियन ऑयल का0 लि0 (मार्केटिंग डिविजन) मौर्या कम्पलेक्स, डाकबंगला रोड, पटना/ क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का0 लि0, जमशेदपुर, डायरेक्टर सेल्स, क्षेत्रीय कार्यालय वर्मा माईन्स रोड, पी0 ओ0, टाटानगर, जमशेदपुर, 831001/ एच0 ओ0 वी0 पी0 एस0 ए0, एच0 पी0 सी0 एल0, लोकनायक जय प्रकाश भवन, छठी तल्ला, डाकबंगला रोड, पटना/ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारत पे0 का0 लि0, पुराना बाजार, रेलवे सिनेमा रोड, धनबाद–826001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 7897(S) दि0 03-7-07

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, प0 नि0 वि0, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख, प0 नि0 वि0, बिहार, पटना/ विशेष पदा0 (या0), प0 नि0 वि0, बिहार, पटना। निदेशक (क0 एवं परि0) प0 नि0 वि0, बिहार, पटना/उप निदेशक (क0 एवं परि0) प0 नि0 वि0, बिहार, पटना/ प्रशाखा–9, प0 नि0 वि0/सभी मुख्य अभि0 (सभी उपभाग)/मुख्य अभि0 (अनुश्रवण)/सभी अधीक्षण अभी0 एवं सभी कार्य0 अभि0 (रा0 उ0 प0 सहित), प0 नि0 वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 7897(S) दि0 03-7-07

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदा0, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना